(b) The question is not clear.

(c) the Government's is directing the company to submit the complete data, however the company is trying to avoid the same on one pretext or the other. The Government has given a final opportunity to the company to submit the data. In case full data is hot given by the company whatever data becomes available to the Government from whichever source, will be made use of to supplement the company's date. After the liability has been tentatively determined, in this way, the company will be given a hearing in accordance with the Bombay High Court's order and a speaking order will be passed thereafter.

कमजोरवर्गों को खाद्यान्नों का वितरण

750. **श्री विश्वास राव रामराव पाटिल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खाद्यान्नों और अन्य आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए समाज के उस वर्ग का पता लगाने का विचार रखती है जिसके लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है ताकि समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को इस संबंध में प्राथमिकता मिल सके ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार के निष्कर्ष क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि विभिन्न वस्तुएं घटिया किस्म की होती हैं और इन वस्तुओं की सप्लाई अनियमित है ; और

(घ) यदि हां तो इस बारे में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है ?

नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) इस समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली का स्वरूप सर्वव्यापी है और इसमें आय या व्यवसाय आदि के आधार पर लाभभोगियों के बीच अंतर नहीं किया जाता है । लेकिन दूर-दराज, पहाड़ी, दूरस्थ, ग्रामीण क्षेत्रों में जहां अधिकांशत: गरीब लोग रहते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सुविधा बेहतर तरीके से पहुंचाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों के परामर्श से उन क्षेत्रों का चयन किया है जो विभिन्न क्षेत्र-विशिष्ट कार्यक्रमों, जैसे सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, मरूस्थल, विकास कार्यक्रम समेकित आदिवासी विकास परियोजनाओं तथा विनिर्दिष्ट पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं । इन क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गेहूं व चावल विशेष रूप से राजसहायतायुक्त मूल्यों पर दिए जाते हैं जो सामान्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मूल्यों से कम होते हैं । जिन क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सुविधा कम है वहां अतिरिक्त उचित दर की दुकानों खोलने ,जिन लोगों के पास अब तक राशन कार्ड नहीं हैं उन्हें अतिरिक्त राशन कार्ड जारी करने तथा भंडारण क्षमता सृजित करने के लिए कार्यवाही की गई है । राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे (i) उचित दर दुकानों के स्तर पर सतर्कतार्ग्रासमिति गठित करे तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की दरवाजे पर सुपुर्दगी की व्यवस्था करे ।

(ग) और (घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरण हेतु निर्धारित मानकों तथा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की अपेक्षाओं के अंतर्गत आ वाले खाद्यान्न जारी किए जाते हैं । वितरित की जाने वाली अन्य वस्तुयें भग निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप होती हैं राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया है कि वे कदाचारों को रोकने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के अन्यत्र भेजे जाने को रोकने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिक्री के जरिए वितरित की जाने वाली वस्तुओं की गुणता की जांच करने के लिए उचित दर की दूकानों के निरीक्षण कार्य में तेजी लायें ।